अध्याय - 5
स्वातंत्र्योत्तर भारत की प्रमुख घटनाएँ

हम पढ़ेंगे

11.1 कश्मीर समस्या
11.2 भारत-चीन संबंध व 1962 का युद्ध
11.3 भारत-पाक संबंध व 1965 व 1971 के युद्ध
11.4 बांग्लादेश का उदय
11.5 भारत में आपातकाल
11.6 भारत का आणविक शक्ति के रूप में उदय होना

15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश दासता से मुक्त हो गया। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् भारत ने अपने देश के हितों के अनुकूल विदेश नीति का निर्धारण किया। भारत की विदेश नीति की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएँ है -

- भारत विश्व राजनीति में असंलग्नता की नीति का अवलम्बन करता है।
- भारत की नीति शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धान्त में विश्वास करते हुए विश्वशान्ति कायम रखने के लिए यथा सम्भव सहयोग देने की नीति का पालन किया है।
- भारत साम्राज्यीय एवं प्रजातीय विभेद का विरोध करता है और पिछड़े राष्ट्रों की सहायता करने को तैयार रहता है।
- भारत संयुक्त राष्ट्र तथा उससे सम्बन्धित उसकी अन्य संस्थाओं का समर्थन करता है तथा उनसे सहयोग करता है।

11.1 कश्मीर समस्या

कश्मीर की समस्या भारत और पाकिस्तान के मध्य सबसे अधिक उलझी हुई समस्या है। स्वतन्त्रता के पश्चात् दो नये राज्य बने, तो देशी रियासतों को स्वतन्त्रता प्रदान की गई कि वह अपनी इच्छानुसार भारत अथवा पाकिस्तान में विलय हो सकती हैं अथवा स्वतंत्र रह सकती हैं। अधिकांश रियासतें भारत अथवा पाकिस्तान से मिल गई।

कश्मीर भारत की उत्तर-पश्चिम सीमा पर स्थित होने के कारण भारत और पाकिस्तान दोनों को जोड़ता है। कश्मीर के राजा हरीसिंह ने अपनी रियासत जम्मू-कश्मीर को स्वतंत्र रखने का निर्णय लिया। राजा हरीसिंह सोचते थे कि कश्मीर यदि पाकिस्तान में मिलता है तो जम्मू की हिन्दू जनता और लद्दाख की बौद्ध जनता के साथ अन्याय होगा और यदि वह भारत में मिलता है तो मुस्लिम जनता के साथ अन्याय होगा। अत: उसने यथा स्थिति बनाए रखी और विलय के विषय में तत्काल कोई निर्णय नहीं लिया। 22 अक्टूबर 1947 उत्तर-पश्चिम सीमा प्रान्त के कबाइलियों और अनेक पाकिस्तानियों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। पाकिस्तान कश्मीर को अपने में मिलाना चाहता था अत: उसने अपनी सीमाओं पर सेना को इकट्ठा कर चार दिनों के भीतर ही हमलाकर दिया। आक्रमणकारी श्रीनगर से 25 मील दूर बारामूला तक आ पहुँचे। कश्मीर के शासक ने आक्रमणकारियों से अपने राज्य को बचाने के लिए भारत सरकार से सैनिक सहायता मांगी, साथ ही कश्मीर को भारत में सम्मिलित करने की प्रर्थना की। भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और भारतीय सेनाओं को कश्मीर भेज दिया।

भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु ने यह आश्वासन दिया कि युद्ध समाप्ति के पश्चात् कश्मीर में जब शांति स्थापित हो जाएगी तब कश्मीर की जनता जनमत संग्रह के आधार पर यह तय करेगी कि वे किसके साथ मिलना चाहते हैं। प्रारम्भ में पाकिस्तान सरकार ने अधिकारिक रूप से कश्मीर के बारे में कोई मत व्यक्त नहीं किया था अत: भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से कबाइलियों का मार्ग बन्द करने को कहा, परन्तु जब इस बात के प्रमाण मिलने लग गए कि पाकिस्तान सरकार कबाइलियों की सहायता कर रही है तो गवर्नर जनरल लार्ड माउन्टबेटन की

सलाह पर जनवरी 1948 को भारत सरकार ने सुरक्षा परिषद् में यह शिकायत की कि कबाइलियों ने पाकिस्तान से सहायता प्राप्त करके भारत के एक अंग कश्मीर पर आक्रमण कर दिया है, जिससे अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है।

संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद् ने इस समस्या के समाधान के लिए पाँच राष्ट्रों चेकोस्लोवाकिया, अर्जेण्टाइना, अमेरिका, कोलम्बिया और बेल्जियम के सदस्यों का एक दल बनाया, इस दल को मौके पर जाकर स्थिति का अवलोकन करना था और समझौते का मार्ग ढूँढ़ना था। संयुक्त राष्ट्र के दल ने मौके पर जाकर स्थिति का अध्ययन किया तथा अपनी रिपोर्ट दी रिपोर्ट में कहा गया कि –

1. पाकिस्तान अपनी सेनाएँ कश्मीर से हटाए तथा कबाइलियों और ऐसे लोगों को जो कश्मीर के निवासी नहीं है वहाँ से हटाने का प्रयास करें।
2. जब पाकिस्तान उपर्युक्त वर्णित शर्तों को पूर्ण कर लेगा तब आयोग के निर्देशो पर भारत भी अपनी सेनाओं का अधिकांश भाग वहाँ से हटा ले।
3. अन्तिम समझौता होने तक युद्ध विराम की स्थिति रहेगी और भारत कश्मीर में स्थानीय अधिकारियों के सहयोग के लिए उतनी ही सेनाएँ रखेगा जितनी कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक होगा।

इन सिद्धान्त के आधार पर दोनों पक्षों में लम्बी वार्ता के बाद 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए। कश्मीर के विलय का निर्णय जनमत संग्रह के आधार पर होना था। संयुक्त राष्ट्र ने जनमत संग्रह की शर्तों को पूर्ण करने के लिए एक अमेरिकी अधिकारी को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया। प्रशासक ने भारत एवं पाकिस्तान से जनमत संग्रह के आधार पर चर्चा की परन्तु उसका कोई परिणाम नहीं निकला अत: उसने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया।

युद्ध विराम रेखा निर्धारित हो जाने के फलस्वरूप पाकिस्तान के पास कश्मीर का कुछ क्षेत्र रह गया। इस क्षेत्र में मुस्लिम जनसंख्या निवास करती थी। पाकिस्तान ने इस अधिकृत क्षेत्र को 'आजाद कश्मीर' का नाम दिया।

जवाहरलाल नेहरु जनमत संग्रह की अपनी वचनबद्धता का पालन करना चाहते थे परन्तु पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्रसंघ की शर्तों का उलंघन कर अधिकृत क्षेत्र (आजाद कश्मीर) से अपनी सेनाएं नहीं हटाई थीं। कबाइली भी वहीं बने हुए थे। अत: जनमत संग्रह कराया जाना संम्भव नहीं था। पाकिस्तान कश्मीर को छोड़ना नहीं चाहता था बल्कि उसका दावा भारत के नियंत्रण में स्थित कश्मीर पर भी था। अत: उसने अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि की तथा शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका से संधि कर अपना पक्ष मजबूत बनाने का प्रयास किया। पाकिस्तान ने 1954 में अमेरिका से संधि की और 1955 में वह 'सीटो' नामक संगठन का सदस्य भी बन गया। इसका सदस्य बनने से उसे अमेरिका की सहानुभूति प्राप्त हुई। इसके बदले उसे कुछ सामरिक अड्डे भी प्राप्त हुए। इन परिस्थितियों में पं. नेहरु ने कश्मीर नीति में परिवर्तन किया। उन्होंने जब तक पाकिस्तान अपनी सेना नहीं हटा लेता तब तक जनमत संग्रह से मना किया। कश्मीर के प्रश्न पर सोवियत संघ ने भारत का समर्थन किया। इस समर्थन से भारत की स्थिति मजबूत हो गयी।

6 फरवरी 1954 को कश्मीर की विधान सभा ने एक प्रस्ताव पारित कर जम्मू कश्मीर राज्य का विलय भारत में करने की सहमति प्रदान की। भारत सरकार ने 14 मई 1954 को संविधान में संशोधन कर अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया। 26 जनवरी 1957 को जम्मू-कश्मीर का संविधान लागू हो गया। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर भारतीय संघ का एक अभिन्न अंग बन गया।

इसके बाद पाकिस्तान निरन्तर कश्मीर का प्रश्न उठाकर वहाँ राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का प्रयास करता रहा है। पाकिस्तान ने इस मामले को सुरक्षा परिषद में उठाकर जनमत संग्रह की माँग की। पाकिस्तान को इस प्रश्न पर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का समर्थन प्राप्त रहा। परन्तु भारत ने इसका विरोध किया। भारत की मित्रता सोवियत संघ के साथ थी अत: सोवियत संघ ने विशेषाधिकार का प्रयोग कर मामले को ठण्डा किया।

1962 में पाकिस्तान ने कश्मीर में पुन: जनमत संग्रह की माँग उठायी परन्तु पुन: सोवियत संघ ने अपने विशेषाधिकार का उपयोग किया।

पाकिस्तान में जितनी सरकारें आयी हैं वे कश्मीर के प्रश्न को जीवंत रखने का प्रयास करती हैं जबकि भारत के लिए यह प्रश्न उसकी अखण्डता एवं सम्मान का प्रश्न है।

11.2 भारत चीन संबंध व 1962 का युद्ध

चीन के साथ भारत के अत्यन्त प्राचीन सम्बन्ध रहे हैं। प्राचीन काल में दोनों देशों के मध्य मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध थे। पश्चिमी साम्राज्यवाद के एशियाई क्षेत्र में पैर पसारते ही भारत-चीन सम्बन्धों में खटास आती गई। जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था, चीन के प्रति भारत में बहुत सहानुभूति थी। 1931 में जब जापान द्वारा मंचूरिया पर आक्रमण किया गया तो चीन के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाने के लिए भारत में 'चीन दिवस' मनाया गया। 1937 में जब चीन-जापान युद्ध शुरू हुआ तो भारत ने एक बार फिर चीन के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाई।

भारत और चीन के मध्य तिब्बत को लेकर मतभेद की स्थिति निर्मित हुई। भारत तिब्बत पर चीन के अधिकार को स्वीकार करने को तैयार था किन्तु वहाँ एक स्वायत्त शासन स्थापित करने का पक्षधर भी था। चीन ने भारत की मंशा को अनदेखा करते हुए 25 अक्टूबर 1950 को तिब्बत पर सैनिक कार्यवाही शुरू कर दी। भारत ने चीन की इस कार्यवाही का विरोध किया। मार्च 1958 में तिब्बत में चीन के विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया। विद्रोहियों को दलाईलामा का समर्थन प्राप्त था। जब चीनी शासकों ने विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया तो दलाईलामा को तिब्बत छोड़कर भागना पड़ा। दलाईलामा को भारत सरकार ने शरण दी जिससे दोनों देशों के मध्य 'शीत युद्ध' शुरू हो गया। इसके साथ ही चीन ने सीमा विवाद भी शुरू कर दिया। भारत द्वारा पंचशील के सिद्धांत पर चीन के साथ पुन: सम्बन्धों में मधुरता लाने का प्रयास किया गया। 1960 में भारत और चीन के प्रधानमंत्री दिल्ली में सीमा विवाद पर बात करने के लिए मिले। इसके बाद दोनों देशों के अधिकारियों के बीच कई बैठकें हुईं, लेकिन सितम्बर 1962 को चीन ने भारत-चीन सीमा के पूर्वी क्षेत्र अर्थात् भारत के नेफा क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। चीनी फौजों ने 20 अक्टूबर 1962 को भारत चीन सीमा पर तैनात भारतीय फौजों पर आक्रमण किया।

अक्टूबर 1962 का भारत-चीन युद्ध कोई आकस्मिक घटनाक्रम नहीं था यह सब उन घटनाओं की चरम परिणति थी जो तिब्बत संकट को देखने के बाद आई। चीन द्वारा मैकमोहन रेखा को अस्वीकार किया गया और यह आक्रमण लद्दाख के अक्साई चीन और पूर्व में नेफा (अब अरुणाचल प्रदेश) में व्यापक पैमाने पर हुआ। इस दौरान युद्ध विराम के सुझाव अवश्य सामने आए, किन्तु कोई समझौता नहीं हो सका। चीन ने 26 अक्टूबर 1962 को एक तीन सूत्रीय सुझाव दिया जिसके जबाव में भारत ने सीमाओं पर यथास्थिति बनाये रखने का सुझाव दिया। अन्त में चीन ने 21 नवम्बर 1962 को एकतरफा युद्ध विराम की घोषणा की।

भारत-चीन युद्ध की पृष्ठभूमि का अध्ययन करने पर कुछ बातें निकल कर आती हैं। जैसे - चीन द्वारा भारत पर अचानक आक्रमण क्यों किया गया? युद्ध में भारत को पराजय क्यों मिली? और चीन द्वारा एक-तरफा युद्धविराम की घोषणा क्यों की गई। विद्वानों ने उक्त बातों पर विचार मंथन के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि -

- चीन अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था।

- चीन की नीति विस्तारवादी थी।
- चीन विश्व में अपनी आर्थिक व राजनैतिक सर्वोच्चता स्थापित करना चाहता था।
- चीन भारतीय गुटनिर्पेक्षता की नीति को गलत बताना चाहता था।
- युद्धविराम की घोषणा करके चीन विश्व समुदाय का समर्थन प्राप्त करना चाहता था।

भारत-चीन युद्ध में चीन अपने भौगोलिक व सैन्य दोनों उद्देश्यों के प्राप्त करने में सफल रहा। भारत की हार के पीछे भी कुछ कारण उत्तरदायी रहे, जैसे- भौगोलिक स्थिति का लाभ चीन को मिलना। चीन इस युद्ध के लिए पूर्णत: तैयार था जबकि भारत इसके लिए तैयार नहीं था। चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति पर चलते हुए भारत को इस युद्ध में लड़ाई के लिए विवश किया।

भारत-चीन युद्ध की स्थिति पर अफ्रीका और एशियाई देशों ने दिसम्बर 1962 में कोलम्बो में हुए सम्मेलन में विवाद की समाप्ति के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये -

1. वर्तमान नियंत्रण रेखा को दोनों देश स्वीकार करें।
2. नियंत्रण रेखा के दोनों ओर 20 किलोमीटर के क्षेत्र से दोनों देश अपनी सैन्य चौकियाँ हटा लें।
3. विवादित विषयों पर दोनों देश परस्पर बातचीत से हल निकालें।

इस तरह के अन्य सुझावों को भारत द्वारा पूर्णत: सिद्धान्त रूप से मान लिया गया।

भारत-चीन युद्ध के निम्नलिखित निकटवर्ती व दूरगामी **परिणाम** सामने आये -

- भारत-चीन सम्बन्ध तनावपूर्ण हो गये।
- भारत के भू-भाग का एक बड़ा भाग चीन के कब्जे में चला गया।
- भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि एवं गुटनिरपेक्ष नीति आहत हुई।
- भारतीय विदेश नीति में आदर्शवाद के स्थान पर व्यावहारिकता और यथार्थवाद को स्थान मिला।
- भारत - अमेरिका के सम्बन्धों में सुधार हुआ।

11.3 भारत-पाक संबंध व 1965 व 1971 का युद्ध

1947 में भारत के विभाजन के बाद यह आशा की जाती थी कि भारत और पाकिस्तान कटुता को भुलाकर शान्ति से रहेंगे परन्तु ब्रिटिश शासनकाल में जो कटुता पैदा की गयी थी और जिन परिस्थितियों में विभाजन हुआ था, उसके कारण दोनों देशों के सम्बन्ध खराब बने रहे।

दोनों देशों के मध्य विभाजन की प्रक्रिया और उससे उत्पन्न समस्याओं के कारण सम्बन्ध खराब हुये। कश्मीर का प्रश्न ऐसा था, जिसने दोनों देशों के मध्य शत्रुतापूर्ण सम्बन्धों को स्थायी बना दिया।

विभाजन के उपरान्त भारत और पाकिस्तान के मध्य आर्थिक समस्याओं को लेकर मतभेद उत्पन्न हुए। दोनों देशों के मध्य आमदनी, कर्ज का बँटवारा, लागत धन को लेकर जो समस्याएँ उत्पन्न हुयीं, उन्हें सुधारने का प्रयास किया गया परन्तु तनाव कम नहीं हुआ। विस्थापितों की सम्पत्ति का हस्तान्तरण का प्रश्न अत्यन्त जटिल था। इस समस्या का 1950 में आंशिक समाधान हुआ परन्तु तनाव बना रहा। दोनों देशों के मध्य अल्पसंख्यकों की समस्या का प्रश्न भी तनाव का कारण रहा है।

आर्थिक समस्याओं से भी अधिक गम्भीर समस्या दोनों देशों के बीच नदियों के पानी की रही है। सिन्धु नदी एवं उसकी सहायक नदियाँ भारतीय क्षेत्र से निकलती हैं और पाकिस्तान को यह भय हुआ कि भारत नदियों के बहाव को रोककर पाकिस्तान में जल पहुँचने से रोक सकता है। परन्तु, सितम्बर 1960 में इस मुद्दे पर एक समझौता हो गया।

1962 में भारत-चीन का युद्ध आरम्भ हुआ। इस युद्ध में अमेरिका और ब्रिटेन का समर्थन भारत को प्राप्त हुआ परन्तु पाकिस्तान की सहानुभूति चीन के साथ थी। इसी सहानुभूति के कारण 1963 में पाकिस्तान ने एक समझौता चीन से किया और उसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का एक भाग सौंप दिया। भारत ने इसका विरोध किया।

दोनों देशों के मध्य कटुता का कारण यह भी है कि पाकिस्तान जासूसों के माध्यम से भारत के गुप्त सामरिक भेदों को प्राप्त करने का प्रयास करता है और जब षडयंत्र का पता लग जाता है, उल्टे भारत पर जासूसी का आरोप लगाता है। पाकिस्तान यह भी प्रयास करता रहता है कि किसी भी बहाने भारत के साम्प्रदायिक सद्‌भाव में दरार आए। पाकिस्तान कश्मीर क्षेत्र में अपने घुसपैठिये भेजकर कश्मीरी जनता को उत्तेजित करने के लगातार प्रयास करता रहता है।

1965 में कच्छ के प्रश्न को लेकर दोनों देशों में संघर्ष हुआ। कच्छ का रण क्षेत्र कच्छ के राजा के अधिकार में आता था। कच्छ के राजा ने भारत के साथ विलय को स्वीकार किया था परन्तु पाकिस्तान का दावा यह था कि यह क्षेत्र विभाजन के बाद पाकिस्तान में मिलना चाहिए था। इस प्रश्न को लेकर पाकिस्तान ने 1965 में कच्छ पर आक्रमण कर इसके कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। अंततः ब्रिटिश प्रधानमंत्री की मध्यस्थता करने पर युद्ध विराम हुआ। कच्छ के मामले के हल के लिए एक कमेटी बनी। इस कमेटी (ट्रिब्यूनल) ने विवादग्रस्त क्षेत्र का नब्बे प्रतिशत भारत को दिया और शेष तीन सौ बीस वर्गमील भूमि पाकिस्तान को देने का निर्णय लिया। इस निर्णय का भारत ने विरोध किया। भारत के राजनीतिक दलों ने भी इसका विरोध किया। परन्तु भारतीय सरकार को इसे स्वीकार करना पड़ा क्योंकि सरकार ने पहले ही यह मान लिया था कि उसे ट्रिब्यूनल का निर्णय मान्य होगा।

इस प्रकार के अनेक कारण ऐसे थे जिनके कारण भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थायी शत्रुता के तत्व मौजूद रहे हैं।

युद्ध का आरम्भ – कच्छ का प्रश्न हल हुआ ही था पुनः कश्मीर में पाकिस्तान ने कार्यवाही आरम्भ कर दी। पाकिस्तान वर्षों से सैनिकों को छापामार युद्ध का प्रशिक्षण देने के लिए चीन भेज रहा था और इस प्रकार आक्रमण की तैयारी कर रहा था।

4 अगस्त 1965 को हजारों पाकिस्तानी छापामार कश्मीर में घुस गये। पाकिस्तानी रेडियों ने यह दावा किया कि कश्मीर में विद्रोह हो गया है। वस्तुतः पाकिस्तानी छापामारों (मुजाहिदों) ने ही उपद्रव आरम्भ किया था। सूचना प्राप्त होते ही भारतीय सेना ने कार्यवाही आरम्भ की। सैकड़ों छापामारों को पकड़ लिया गया था या मार डाला गया।

पाकिस्तान पहले से तैयार बैठा था अतः उसने छापामारों को दूसरा दस्ता कश्मीर भेजा। इन परिस्थितियों में भारत सरकार ने उन क्षेत्रों की पहचान करायी जहाँ से छापामार घुसपैठ होती है अधिकार करना आरम्भ किया। कारगिल, टीथवाल, डेरी पूंजी, हाजीपीर दर्रा आदि क्षेत्रों पर भारतीय सेना ने अधिकार किया। परिणाम यह हुआ कि घुसपैठियों के रास्ते बंद हो गये।

संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारी जो युद्ध विराम रेखा पर पहरा दे रहे थे, इन घटनाओं की सूचना संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को दी। महासचिव ने दोनों पक्षों को संयम से काम लेने को कहा परन्तु कोई परिणाम नहीं निकला।

भारत में घुसपैठियों को रोकने के लिए 25 अगस्त 1965 से दोनों पक्षों की सेनाओं में सीधी लडाई आरम्भ हुयी। छम्ब-जूरिया क्षेत्र से पाकिस्तान आसानी से आक्रमण कर सकता था अत: पाकिस्तानी सेनाओं ने आक्रमण किया और अखनूर पर अधिकार किया। पाकिस्तान ने वायुसेना से अमृतसर पर भी हमला किया। अत: भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तानी सेना के दबाव को कम करने के लिए पाकिस्तान के पंजाब प्रदेश पर तीन तरफ से आक्रमण किया। भारतीय सेनाएँ लाहौर की ओर बढ़ीं।

यह एक ऐसा अघोषित युद्ध था जिसमें दोनों पक्ष पूर्वी सीमांत पर पूरी शक्ति के साथ लड़े।

युद्ध विराम - 23 सितम्बर 1965 को संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से युद्ध विराम हुआ। भारतीय सेना युद्ध विराम के समय तक पाकिस्तान के 740 वर्ग मील क्षेत्र पर अधिकार कर चुकी थी और पाकिस्तान के कब्जे में 240 वर्गमील के लगभग भारतीय क्षेत्र था।

1965 के युद्ध में भारत को पाकिस्तान पर विजय प्राप्त हुई थी। इस युद्ध के निम्नलिखित **परिणाम** हुए -

- पाकिस्तान कश्मीर समस्या का समाधान शस्त्र द्वारा करना चाहता था और उसने युद्ध का मार्ग अपनाया।
- पाकिस्तान का विश्वास था कि कश्मीर की मुस्लिम जनता उसका साथ देगी परन्तु ऐसा नहीं हुआ। भारत ने यह सिद्ध किया कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का आधार अत्यन्त ठोस है।
- युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों तथा सैनिकों का मनोबल ऊँचा रहा। भारतीय सेना के अधिकांश हथियार स्वदेशी थे।
- पाकिस्तान को विश्वास था कि संकट के अवसर पर चीन उसका साथ देगा परन्तु उसका यह भ्रम टूट गया।
- भारत - पाकिस्तान के युद्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका महत्वपूर्ण थी। संयुक्त राष्ट्र संघ को सफलता मिली क्योंकि सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसमें अपना सहयोग दिया था।
- पाकिस्तान के लिए यह युद्ध घातक सिद्ध हुआ। युद्ध में पराजय ने उसकी सैनिक तानाशाही के खोखलेपन को सिद्ध कर दिया।

ताशकन्द समझौता - युद्ध विराम के बावजूद युद्ध क्षेत्रों में झड़पें बन्द नहीं हुयी थीं। इस स्थिति को समाप्त करने के लिए सोवियत संघ ने विशेष रूचि ली। सोवियत संघ ने दोनों पक्षों को वार्ता के लिए ताशकन्द आमन्त्रित किया। 4 जनवरी 1966 को **पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खाँ तथा भारत के प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री के मध्य ताशकन्द में वार्ता आरम्भ हुयी। अंतत: 19 जनवरी 1966 को ऐतिहासिक ताशकन्द समझौते पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किए।** इस समझौते की महत्वपूर्ण शर्तें निम्नलिखित थीं -

1. दोनों पक्षों ने अच्छे पड़ोसियों जैसे सम्बन्ध निर्माण करने पर सहमति व्यक्त की।
2. दोनों पक्षों ने यह सहमति व्यक्त की कि वे 5 अगस्त 1965 के पूर्व जिस स्थिति में थे वहाँ अपनी सेनाओं को वापस बुला लेंगे। दोनों पक्ष युद्ध विराम रेखा पर युद्ध विराम की शर्तों का पालन करेंगे।
3. दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने, एक-दूसरे के विरूद्ध प्रचार को निरूसाहित करने तथा पुन: राजनयिक सम्बन्धों की स्थापना करने का निर्णय लिया।

इसके अतिरिक्त आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक सम्बन्धों को मधुर बनाने पर भी सहमति व्यक्त की गयी।

ताशकन्द समझौते का सर्वत्र स्वागत हुआ। यद्यपि इस समझौते से मौलिक मतभेदों का अन्त नहीं हुआ परन्तु यह आशा की जाती थी कि दोनों पक्ष अपनी शत्रुता को भुलाकर मित्रता का मार्ग अपनाएंगे और विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए वार्ता करेंगे। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में ताशकन्द सम्मेलन का महत्व यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का सुलझाने के लिए 'ताशकन्द की भावना' कार्य करे, ऐसी उम्मीद की जाती थी।

1971 का भारत-पाक युद्ध

ताशकन्द समझौता से भारत और पाकिस्तान के मूल मतभेदों का अन्त नहीं हुआ। समझौते के पश्चात् दोनों देशों के सैनिक अपने-अपने स्थानों पर लौट गये, परन्तु जल्दी ही पाकिस्तान ने ऐसी गतिविधियों में भाग लिया, जिनसे पुनः तनाव व्याप्त हुआ। उदाहरण के लिए 1967 के आरम्भ में भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तानी हवाई जहाज का घुस जाना, मई 1967 में अखनूर क्षेत्र में भारत-पाकिस्तान के सैनिकों के मध्य झड़प, जनवरी 1971 में इण्डियन एयरलाइन्स के विमान का अपहरण किया जाना और अपहरणकर्ताओं की माँगे न माने जाने पर उसे जला डालना आदि घटनाओं ने सम्बन्धों में कटुता उत्पन्न की।

इस बीच पूर्वी पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ गया। दिसम्बर 1970 में पाकिस्तान की प्रादेशिक विधानसभाओं के चुनाव हुये। इन चुनावों में पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर्ररहमान की 'अवामी लीग' को अच्छी सफलता मिली। अवामी लीग पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्रता दिलाना चाहती थी। जब पाकिस्तान की पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष जुल्फिकार अली भुट्टो और राष्ट्रपति याहिया खाँ ने आवामी लीग की विजय को महत्व नहीं दिया तब अवामी लीग नाराज हो गयी। परिणामस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान में अवामी लीग ने 3 मार्च को हड़ताल कर दी। सरकार ने इस आन्दोलन को हिंसा के द्वारा कुचलने का प्रयास किया परन्तु शान्ति स्थापित नहीं हो सकी।

अवामी लीग के अध्यक्ष मुजीबुर्रहमान ने 7 मार्च 1971 को ढाका में विशाल जनसभा को सम्बोधित किया और राष्ट्रपति याहिया खाँ द्वारा राष्ट्रीय असेम्बली के अधिवेशन में सम्मिलित होने के पूर्व कहा कि शासन की बागडोर जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को सौंपी जाए। उन्होंने सेना की वापसी, मार्शल ला की समाप्ति, हत्याओं की न्यायिक जाँच आदि की माँग की। पूर्वी पाकिस्तान पर से केन्द्र का नियंत्रण समाप्त हो गया और अवामी लीग हावी हो गयी। इस प्रकार पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति का संघर्ष आरम्भ हो गया। मुक्ति का संघर्ष करने वाले 'मुक्ति वाहिनी' कहलाये जाने लगे।

पाकिस्तान की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान की जनक्रान्ति को दबाने के लिए सैनिक अभियान छेड़ दिया। इस मामले में भारत की सहानुभूति अवामी लीग के साथ थी। भारत ने पाकिस्तान की सैन्य कार्यवाही की निन्दा की। पाकिस्तान ने इसे अपने आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप माना। इस तरह भारत - पाकिस्तान के मध्य सम्बन्ध अत्यन्त खराब हो गये। स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि दोनों देशों के बीच कभी भी युद्ध आरम्भ हो सकता था।

17 अप्रैल 1971 को बंगला गणराज्य की विधिवत स्थापना हो गयी। इस प्रकार पूर्वी पाकिस्तान को बंगाली 'बांग्लादेश' कहा जाने लगा। पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान (बंगलादेश) में लोकतन्त्र का गला घोटा जा रहा था तो भारत की चिंता का सबसे बड़ा कारण यह था कि हजारों की संख्या में शरणार्थी भारत आ रहे थे ऐसी स्थिति में भारत अपने पड़ोस में चल रही गतिविधियों पर आँख मूँदकर चुप नहीं बैठ सकता था। इधर पाकिस्तान में युद्ध का उन्माद बढ़ रहा था।

युद्ध का आरम्भ - 12 नवम्बर 1971 को भारत-पाकिस्तान की पूर्वी सीमा पर स्थिति विस्फोटक हो गयी। दोनों देशों की सेनाएँ आमने-सामने खड़ी थीं। मुक्तिवाहिनी से जूझते हुए कुछ पाकिस्तानी टैंक भारतीय सीमा में प्रवेश कर गये। भारतीय सेनाओं ने उन्हें नष्ट कर दिया। पाकिस्तान ने श्रीनगर से आगरा तक पश्चिमी भारत के दस हवाई अड्डों

पर खुली बमबारी की। जम्मू-कश्मीर के पूँछ अंचल से युद्ध विराम रेखा पार करके बड़ी संख्या में पाकिस्तानी घुस आये तथा पश्चिमी सीमाओं की अनेक चौकियों पर गोलाबारी शुरू कर दी। भारत सरकार एकाएक हमले की संभावना के प्रति पूर्णरूप से सतर्क थी अत: भारत ने पाकिस्तानी आक्रमण का करारा जवाब दिया। भारत ने पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर दुश्मन को खदेड़ने की कार्यवाही आरम्भ की।

युद्ध जैसे-जैसे बढ़ता गया युद्ध को रोकने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास आरम्भ हो गये। अमेरिका पाकिस्तान को संकट पूर्ण स्थिति से बचाना चाहता था उसका उद्देश्य बांग्लादेश की समस्या का वास्तविक एंव उचित हल निकालना नहीं था। इन प्रयासों के कोई परिणाम नहीं निकले। भारत सरकार का कहना था कि इस संकट का शांतिपूर्ण हल तभी निकल सकता है जब बंगलादेश से पाकिस्तानी फौजें हट जायेंगी। पाकिस्तानी सेनाओं ने पूर्वी पाकिस्तान पर जो अमानवीय अत्याचार किये, उसके परिणामस्वरूप लाखों शरणार्थी भारत आ गये हैं। पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान पर अपना कब्जा बनाये रखने के लिए स्थितियों को भारत-पाक युद्ध में बदल दिया है इन परिस्थितियों में भारत को आत्मरक्षार्थ युद्ध करना पड़ा।

युद्ध जारी रहा और इस बीच भारत ने 6 दिसम्बर को बांग्लादेश को मान्यता प्रदान कर दी। अत: पाकिस्तान ने भारत से अपने राजनायिक सम्बन्ध तोड़ लिए। जब अमेरिका को लगा कि पाकिस्तान को सभी मोर्चों पर हार खानी पड़ेगी तब उसने भारत-पाक युद्ध के प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्तुत करने का निश्चय किया।

पाकिस्तान बड़े हौसले और पर्याप्त तैयारी के साथ युद्ध में कूदा था परन्तु युद्ध के प्रत्येक मोर्चे पर उसकी पराजय हुयी। भारतीय सेनाओं ने स्थल, जल, वायु सेना की सम्मिलित कार्यवाही कर पाकिस्तान को घुटने टेकने पर विवश किया। भारत ने चारों ओर से पाकिस्तानी सेनाओं को घेर लिया। इन परिस्थितियों में पाकिस्तानी सेना के कमांडर जनरल नियाजी ने ढाका में 16 दिसम्बर 1971 को आत्मसमर्पण पत्र पर हस्ताक्षर किये। नियाजी के साथ 93 हजार पाकिस्तानी सैनिकों का यह समर्पण भारतीय जनरल जगजीतसिंह अरोडा के समक्ष किया। पश्चिमी मोर्चे पर भी पाकिस्तान को युद्ध बन्द करने को विवश होना पड़ा।

युद्ध में पाकिस्तान की पराजय के कारण - 1971 का युद्ध भारत और पाकिस्तान के मध्य चौदह दिन तक चला। पाकिस्तान के लिए यह युद्ध बड़ा मंहगा सिद्ध हुआ। उसे अपने देश के एक विशाल अंग पूर्वी पाकिस्तान से हाथ धोना पड़ा। पूर्वी पाकिस्तान अब बंगला देश के रूप में एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका था। पाकिस्तान की पराजय के निम्नलिखित कारण थे -

1. पाकिस्तान सैनिक दृष्टि से भारत से कमजोर था।
2. पाकिस्तान का नैतिक पक्ष दुर्बल था। पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान के साथ जो भेदभावपूर्ण नीति अपनायी थी, उसके परिणामस्वरूप वहाँ जन-आन्दोलन आरम्भ हुआ। बंगला देश की निर्माण में बंगाली जनता प्राण-पण से अपनी स्वतन्त्रता के लिए लड़ रही थी।
3. पाकिस्तान की सैनिक तानाशाही प्रजातन्त्रीकरण की प्रक्रिया की उपेक्षा कर रही थी। यह उपेक्षा उसे भारी पड़ी।
4. पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के मध्य दूरी के कारण पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान तक सहजता से नहीं पहुँच सकता था। समुद्री मार्ग की भारतीय नौसेना ने घेराबन्दी कर ली थी अत: उसकी सेना को आपूर्ति बन्द हो गयी।
5. पाकिस्तान के अत्याचारों से पीड़ित होकर लाखों की संख्या में शरणार्थी भारत आये। इस कारण भारत को पाकिस्तान के मामले में हस्तक्षेप का मौका मिला।

1971 के भारत-पाक युद्ध के महत्वपूर्ण **परिणाम** निम्नलिखित रहे -

1. बंगलादेश का निर्माण हुआ।
2. पाकिस्तान का क्षेत्रफल, जनसंख्या, शक्ति कम हुयी।
3. 1965 के पश्चात् 1971 में पुन: पाकिस्तान की हार ने उसका मनोबल तोड़ दिया।
4. भारत को यह समझ में आ गया कि अमेरिका उसका हितैषी नहीं है अत: भारत ने सोवियत संघ के साथ मित्रता बढ़ाई।
5. इस युद्ध ने पाकिस्तान से सहानुभूति रखने वाले राष्ट्र अमेरिका और चीन के हौसलों और महत्वाकांक्षा की पराजय हुई।
6. भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय देश के विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने सारे मतभेद भुला दिये। बंगलादेश की मुक्ति का प्रश्न एक राष्ट्रीय प्रश्न बन गया था।
7. पाकिस्तान की आन्तरिक राजनीति पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। जनता ने राष्ट्रपति याहिया खाँ से त्यागपत्र की माँग की। पराजय से असन्तुष्ट होकर पाकिस्तान में प्रदर्शन हुए। याहिया खाँ को त्यागपत्र देना पड़ा। उनका स्थान जुल्फिकार भुट्टो ने लिया, जिन्हें विरासत में कई समस्याएँ मिलीं। विभक्त जनमत, विभक्त मन:स्थिति और विभक्त नेतृत्ववाला पाकिस्तान नियति के चक्र में बुरी तरह फँस गया।

11.4 बांग्लादेश का उदय

भारत-बांग्लादेश सम्बन्ध - 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की परिणिति के रूप में बांग्लादेश का उदय हुआ। जब पूर्वी बंगाल और पाकिस्तानी शासक के विरुद्ध-विद्रोह हुआ तब भारत की सहानुभूति बंगला स्वतन्त्रता सेनानियों के प्रति रही। पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह ने जब इन विद्रोहियों का क्रूरता के साथ दमन किया तब भारत ने इसका कड़ा विरोध किया। पाकिस्तान द्वारा किये गये नरसंहार से भयभीत होकर पूर्वी बंगाल के अनेक शरणार्थी भारत में आ गये। भारत ने इनके भोजन-आवास की व्यवस्था की और साथ ही बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी के जवानों को प्रशिक्षित किया। इससे बंगला शरणार्थियों का आज़ादी प्राप्त करने के लिए उत्साह बढ़ा।

26 मार्च 1971 को शेख मुजीब के नेतृत्व में स्वतन्त्र बांग्लादेश की घोषणा गुप्त रेडियो से की गई। इसके साथ ही पश्चिमी पाकिस्तान का दमनचक्र शुरू हुआ। अंतत: 17 अप्रैल 1971 को बांग्लादेश में स्वतन्त्र प्रभुसत्ता सम्पन्न गणतन्त्र की घोषणा की गई और विश्व की सरकारों से मान्यता प्रदान करने का आग्रह किया गया। मुक्ति संघर्ष के चलते लगभग एक करोड़ बांग्लादेशी शरणार्थी भारत में आ गये थे। इसका सीधा असर भारत की सुरक्षा व एकता-अखण्डता पर भी पड़ रहा था। बांग्लादेश की समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कई पश्चिमी देशों की यात्रा की किन्तु उन्हें पूर्णत: सफलता नहीं मिली। अंतत: 3 दिसम्बर 1971 को भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया।

बांग्लादेश के तत्कालीन विदेश मंत्री के अनुरोध पर भारत ने 6 दिसम्बर 1971 को बांग्लादेश को मान्यता प्रदान कर दी। 8 दिसम्बर 1971 को ही बांग्लादेश ने हुसैन अली को भारत में अपना प्रथम राजदूत नियुक्त कर दिया।

10 दिसम्बर 1971 को भारत के साथ बांग्लादेश की प्रथम संधि हुई। इस संधि में भारत सैनिक और आर्थिक आधार पर स्वतन्त्र बांग्लादेश के पुनर्निर्माण के लिए तैयार हुआ। भारत-पाकिस्तान के 1971 के युद्ध में पराजित होते

ही बांग्लादेश की सरकार ढाका में स्थापित हो गई। भारत और अंतर्राष्ट्रीय जनमत के समक्ष घुटने टेकते हुये पाकिस्तान को 8 जनवरी 1971 को अवामी लीग नेता शेख मुजीबुर्रहमान को रिहा करने पर बाध्य होना पड़ा। रिहाई के बाद शेख ने भारत के प्रति अपना आभार जताया।

बांग्लादेश को एक स्वतन्त्र देश के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से भारत–बांग्लादेश की द्वितीय संधि हुई। भारत ने बांग्लादेश की आर्थिक, आंतरिक व बाह्य समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी ली। भारत और भूटान के बाद एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश के पूर्वी जर्मनी, नेपाल, बर्मा, पश्चिमी यूरोपीय देश, मलेशिया, इंण्डोनेशिया आदि देशों ने भी मान्यता दे दी। जनवरी 1972 में काहिरा में अफ्रेशियाई देशों का एकता सम्मेलन हुआ जिसमें बांग्लादेश को स्थाई सदस्य बनवाने में एक बार फिर भारत ने अपना बड़प्पन दिखाया। इसके बाद भारत ने समय–समय पर बांग्लादेश को विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग दिया। भारत ने बांग्लादेश के साथ व्यापार और सांस्कृतिक समझौते भी किये। भारत ने 9 अगस्त 1972 को बांग्लादेश को संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्र के रूप में मान्यता दिये जाने का समर्थन किया किन्तु चीन द्वारा वीटो पावर से इस कार्य में भारत को सफलता नहीं मिली।

11.5 भारत में आपातकाल

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत को उसके समक्ष मौजूद अनेक समस्याओं का सामना युद्धस्तर पर करना पड़ा। इसी बात को ध्यान में रखकर संविधान निर्माताओं ने केन्द्र सरकार को ऐसी शक्तियाँ प्रदान की जिसमें वह संकट काल में उत्पन्न स्थितियों का सामना प्रभावशील तरीके से कर सके। देश की सुरक्षा, एकता तथा अखण्डता को बनाए रखने के लिए भारत के संविधान में कुछ आपातकालीन प्रावधान किये गये हैं। भारत के संविधान में भारत के राष्ट्रपति को आपातकालीन (संकटकालीन) स्थितियों से निपटने के लिए विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।

सामान्यत: तीन प्रकार के आपातकाल होते हैं जिनकी घोषणा राष्ट्रपति केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के लिखित परामर्श पर कर सकता है।

- राष्ट्रीय आपातकाल
- राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपातकाल
- वित्तीय संकट

राष्ट्रीय आपातकाल – भारत के राष्ट्रपति यदि संतुष्ट हो जायें कि स्थिति बहुत विकट है तथा भारत अथवा उसके किसी भाग की सुरक्षा खतरे में है। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण या क्षेत्र के अंतर्गत सशस्त्र विद्रोह के कारण समस्या विकट हो सकती है। तब राष्ट्रपति ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से पहले भी आपातकाल की घोषणा कर सकता है। वर्तमान में राष्ट्रपति ऐसी संकटकालीन घोषणा केवल मंत्रिमण्डल की लिखित अनुशंसा पर ही कर सकता है।

राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपातकाल – राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट पर या किसी अन्य प्रकार से संतुष्ट हो जाए कि वहाँ राज्य का शासन विधिपूर्वक चलाया नहीं जा सकता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर संवैधानिक तंत्र की विफलता को रोकने का प्रयास करता है। आम बोलचाल में इसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है।

वित्तीय संकट – यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाए कि भारत अथवा इसके किसी भाग की वित्तीय स्थिति या साख को खतरा है तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है।

भारत में आपातकाल

- राष्ट्रीय आपातकाल भारत में अब तक तीन बार घोषित हो चुका है।
  1. चीन द्वारा आक्रमण करने पर 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक।
  2. पाकिस्तान द्वारा आक्रमण के कारण 3 दिसम्बर 1971 से 21 मार्च 1977 तक, तथा
  3. आंतरिक उपद्रव की आशंका के आधार पर 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल घोषित किया गया।
- राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपातकाल की घोषणा का प्रयोग अनेक बार हुआ है।
- वित्तीय संकट के कारण भारत में अभी तक कभी भी आपातकाल नहीं लगाया गया है।

आपातकाल लागू होने के बाद नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है। यह आपातकाल राज्य सरकारों की स्वतन्त्रता पर भी प्रभाव डालता है। इसमें केन्द्र सरकार की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। केन्द्र राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार रखता है। केन्द्र राज्य सरकारों को निर्देश देता है। राज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति इस प्रकार का आपातकाल लगाते हैं। अनेक बार इस तरह का निर्णय विवाद का विषय भी बना है।

साधारणत: आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग देश हित में ही हुआ है। परन्तु सर्वाधिक आलोचना का विषय आपातकाल का वह समय रहा है जिसे 25 जून 1975 को भारत में लगाया गया था। इसे आंतरिक उपद्रव की आशंका का आधार लेकर लगाया गया था। इस आपातकाल की आलोचना इसलिए हुई क्योंकि इसके माध्यम से भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त प्राण और दैहिक स्वतन्त्रता के अधिकार को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलम्बित किया गया था। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति न्यायालय से संरक्षण प्राप्त करने के लिए न्यायालय नहीं जा सकता था।

इसीलिए जनता पार्टी ने सत्ता में आने के पश्चात् नागरिकों के दैहिक स्वतन्त्रता के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए संविधान में संशोधन पारित किया। इसके द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि दैहिक स्वतन्त्रता के अधिकार को राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है।

1975 के आपातकाल में केन्द्र सरकार ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए विपक्ष के सभी प्रमुख नेताओं को बंदी बना लिया। संसद में विचार व्यक्त करने एवं वाद-विवाद करने के अधिकारों से भी विपक्षी नेताओं को वंचित कर दिया। हजारों निर्दोष नागरिकों को भी जेलों में बन्द कर दिया गया जिन पर सरकार को केवल संदेह मात्र था। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि तत्कालीन समय में आंतरिक उपद्रव जैसी कोई स्थिति नहीं थी परन्तु अनावश्यक रूप से आपातकाल लगाया गया।

11.6 भारत का आणविक शक्ति के रूप में उदय होना

परमाणु ऊर्जा रेडियोधर्मी तत्वों के विखण्डन से प्राप्त की जाती है। इस ऊर्जा से विद्युत तैयार की जाती है। यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम आदि प्रमुख रेडियोधर्मी तत्व हैं, इन तत्वों में भारी मात्रा में ऊर्जा छिपी है। एक अनुमान के अनुसार एक किलो यूरेनियम से जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है उतनी 27000 टन कोयले से प्राप्त की जाती है। यूरेनियम अत्यन्त मूल्यवान तत्व है। परमाणु ऊर्जा का उपयोग जहाँ शान्तिपूर्ण और विकास कार्यों के लिए किया जाता है, इसका उपयोग विध्वसंक, शस्त्रों के निर्माण में भी किया जाता है।

भारत के परमाणु ऊर्जा एवं आन्तरिक शोध कार्यक्रमों का कुशल निर्देशन डा. होमी भाभा और डा. विक्रम साराभाई, राजा रामन्ना जैसे वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है।

भारत की परमाणु नीति पर उसके सामाजिक और आर्थिक आधारों का प्रभाव पड़ा है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् से ही भारत परमाणु ऊर्जा के शान्तिपूर्ण उपयोग की दिशा में प्रयासरत रहा है। परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1948 एवं परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना इस दिशा में प्रारम्भिक कदम रहे। परमाणु ऊर्जा के विकास के क्षेत्र में टाटा

संस्थान–1945 तथा भाभा परमाणु उर्जा केन्द्र–1957 की स्थापना से परमाणु तकनीकी का विकास हुआ। 1956 में अप्सरा शोध रिएक्टर की स्थापना हुई और 1969 में तारापुर परमाणु शक्ति केन्द्र की स्थापना के बाद यह भारत का पहला व्यावसायिक रिऐक्टर केन्द्र बना। भारत ने तारापुर (महाराष्ट्र), कोटा (राजस्थान), कल्पकम (तमिलनाडु), नरोरा (उत्तरप्रदेश), काकारपारा (गुजरात) एवं कैगा में परमाणु ऊर्जा केन्द्र स्थापित किए हैं।

1980 तक भारत ने परमाणु क्षमता विकसित करने की तकनीक प्राप्त कर ली। परमाणु ईंधन के उत्खनन करने, उसे अलग करने, यूरेनियम में परिवर्तित करने, ईंधन बनाने, भारी पानी उत्पादन, रिएक्टर बनाने, ईंधन की सभी प्रक्रियाओं का विकास तथा कचरे के प्रबन्ध तक के सभी कार्यों में भारत क्षमता प्राप्त कर चुका है।

शान्तिपूर्ण उपयोगों के लिए परमाणु ऊर्जा वरदानस्वरूप है। कृषि, चिकित्सा, उद्योग आदि क्षेत्रों में इसका उपयोग हो रहा है। नहरों, बाँधों तथा खानों के निर्माण के लिए परमाणु विस्फोटों का प्रयोग किया जा रहा है।

भारत की परमाणु नीति को उसकी विदेश नीति के मूल सिद्धान्तों के संदर्भ में समझा जा सकता है। भारत की विदेश नीति के तीन मूलभूत सिद्धान्त हैं – राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और विश्व व्यवस्था। इसके अतिरिक्त भारत उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, रंगभेद का विरोध करते हुए परस्पर सह अस्तित्व, सभी राष्ट्रों से मित्रता एवं अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सद्भाव की नीति में विश्वास करता है। भारत की परमाणु नीति का लक्ष्य अपनी सुरक्षा एवं विकास को सुनिश्चित करना है और यह भी ध्यान रखना है कि एक ऐसे विश्व की स्थापना हो, जो सहयोग, सद्भाव और शान्ति पर आधारित हो।

पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों की कमी से निपटने के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की बड़ी भूमिका है। मुम्बई में विद्युत का उत्पादन परमाणु रिएक्टरों के माध्यम से किया जा रहा है।

भारत के प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरु परमाणु शक्ति का प्रयोग अन्तर्राष्ट्रीयता के उत्तरदायित्वों एवं विश्व के उच्च आदर्शों के अनुरुप करना चाहते थे। उन्होंने परमाणु बम न बनाने का संकल्प अनेक अवसरों पर दोहराया।

नेहरुजी की मृत्यु के बाद लालबहादुर शास्त्री का मानना था कि सरकार की नीतियाँ परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशील होती हैं। उन्होंने उस समय बम बनाने की बात नहीं कही परन्तु आने वाले समय में इसी स्थिति के लागू रहने का समर्थन नहीं किया।

देश की रक्षा को अति महत्वपूर्ण विषय मानते हुए इन्दिरा गांधी ने परमाणु नीति पर पुनर्विचार की बात कही। उन्होंने परमाणु 'विकल्प खुला रखने' की बात भी कही। 1974 में इन्दिरा गांधी ने पोखरण (राजस्थान) में 'शान्तिपूर्ण परमाणु परीक्षण' किया। यह परीक्षण हथियारों की प्राप्ति के उद्देश्य से नहीं किया गया था। 1977 से 1980 तक भारत परमाणु हथियार न बनाने की बात पर दृढ़ बना रहा। अपने दूसरे प्रधानमंत्री काल में इन्दिरा गांधी ने इन्तजार करने की नीति अपनायी। 1980 के दशक से प्रक्षेपास्त्रों के विकास के कारण भारत की परमाणु नीति में प्रमुख परिवर्तन आया। इस सन्दर्भ में 1983 में प्रारम्भ किया गया 'एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र योजना' अति महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक ए.पी.जे. अब्दुल कलाम (पूर्व राष्ट्रपति) इस योजना के अध्यक्ष बनाये गये। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत ने जिन प्रक्षेपास्त्रों का विकास किया, वे हैं – **'पृथ्वी', 'त्रिशूल', 'नाग', 'आकाश'।**

परमाणु प्रसार को रोकने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तीन संगठनों की स्थापना हुई। आंशिक मास्को परमाणु परीक्षण निषेध सन्धि (पी.टी.बी.टी.) 1963, परमाणु अप्रसार सन्धि (एन.पी.टी.) 1968 तथा व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध सन्धि (सी.टी.बी.टी) 1996।

भारत ने सदैव यह प्रयत्न किया है कि विश्व स्तर पर एक व्यापक, सार्वभौमिक व वस्तुनिष्ठ संगठन की स्थापना हो परन्तु भारत ने अभी तक इन तीनों संगठनों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं। इसका कारण यह है कि यह प्रस्ताव भारत को भेदभावपूर्ण प्रतीत हुये।

1990 के दशक से भारत की परमाणु नीति में मोड़ आया। इसका कारण यह था कि पाकिस्तान के विश्वस्त सूत्रों से यह ज्ञात हुआ कि पाकिस्तान ने परमाणु बम तैयार कर लिया है। अपनी रक्षा को मजबूत बनाने तथा उसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए, बदले हुए अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश के दबावों से बचन के लिए तथा राजनीतिक एवं कूटनीतिक रूप से समक्ष बनाने के लिए परमाणु परीक्षण किया जाने पर विचार आरम्भ हुआ। परमाणु परीक्षण किये जाने सम्बन्धी गम्भीर निर्णय अचानक नहीं हुआ। यह निरन्तर हुए भारतीय परमाणु शोध एवं नीतियों की देन था।

11 मई 1998 को भारत ने तीन भूमिगत परमाणु (नाभिकीय) परीक्षण लगातार एक के बाद एक पोखरण में किए। इनमें से एक ताप परमाणु विस्फोट था। दो अन्य भूमिगत कम शक्ति वाले परमाणु परीक्षण थे। परमाणु परीक्षण सम्पन्न हो जाने के पश्चात् प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषित किया कि 'हम एक बड़े बम की क्षमता वाले' राष्ट्र बन गये हैं। उन्होंने कहा कि भारत अब परमाणु अस्त्र सम्पन्न देश बन गया है। परन्तु उन्होंने 'परमाणु परीक्षण निषेध संधि' (सी.टी.बी.टी.) को भेदभावमूलक बताया। उन्होंने कहा कि भारत को किसी भी तरह दण्डात्मक कदमों और धमकियों से नहीं डराया जा सकता क्योंकि भारत में हर क्षेत्र में सशक्त बनने की क्षमता मौजूद है। भारत, परमाणु हथियारों का उपयोग किसी देश के विरुद्ध न करके अपने देश की आत्मरक्षा के लिए करेगा।

परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष तथा प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम (पूर्व राष्ट्रपति) ने बताया कि परमाणु हथियारों के निर्माण के सभी सोपान हम चढ़ चुके हैं – वह पूर्ण हो चुका हैं। हमारे पास परमाणु अस्त्रीकरण के लिए विश्वास करने योग्य पर्याप्त बड़े आकार, वजन, कार्य प्रदर्शन और पर्यावरण की दशा मौजूद है। डा. कलाम ने पुष्टि की, कि देशी तकनीक से विकसित 'पृथ्वी' और 'अग्नि' जमीन की सतह से सतह पर प्रहार करने वाले अस्त्र अब परमाणु हिस्सों–पुरजों को युद्धक विमानों से ले जा सकते हैं। भारत के पूर्व पाँच देश–अमेरिका, सोवियत रुस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन आणविक परीक्षण कर चुके थे। अब भारत भी इसमें सम्मिलित हो गया है।

वास्तव में भारत ने आणविक परीक्षण इसलिए किए क्योंकि भारत की सीमाओं के निकट परमाणु अस्त्र क्षमता एवं प्रक्षेपात्रों की मौजूदगी थी। अत: भारत को अपनी सुरक्षा मजबूत बनाने के लिए तथा अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में राजनीतिक एवं कूटनीतिक रूप से दबाव बढ़ाना आवश्यक था। परन्तु भारत आरम्भ से ही शांतिदूत रहा है और उसने आणविक शक्ति दूसरों पर अपनी प्रभुत्ता स्थापित करने तथा दूसरे राष्ट्रों के मामलों में हस्तक्षेप प्राप्त करने के लिए नहीं की है।

परमाणु परीक्षणों के बाद विकसित देशों के प्रवक्ताओं ने विरोध में प्रतिक्रियाएँ व्यक्त की हैं। चीन भी इस मंडली में शामिल हो गया है। परन्तु इस पर संतुलित विचार उस समय के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के महासचिव कोफी अन्नान ने व्यक्त किये हैं। उन्होंने परमाणु अस्त्र सम्पन्न पाँच राष्ट्रों के विरोध पर कहा ''आप अपना कोई ऐसा विशिष्ट क्लब या गठबंधन नहीं रख सकते जिसके सदस्य स्वयं नाभिकीय हथियारों को रखे रहें और उस पर प्रतिबन्ध लगाने से मना करें और उन्हें (भारत और पाकिस्तान) इसे न रखने को कहें।''

परमाणु मामले में भारत नाभिकीय देश है और उसे इसी रूप में मान्यता मिलनी चाहिए।

शब्दावली

जनमत संग्रह – यह चुनाव नहीं है। यह मतपत्र के माध्यम से जनता की इच्छाओं को जानने का साधन है।

आपातकाल – वह समय जब संवैधानिक तंत्र की असफलता के कारण राज्य का चलाना सम्भव न हो।

विदेशी घुसपैठ – अनाधिकृत दूसरे देश में प्रवेश करना।

अभ्यास

सही विकल्प चुनिए

1. भारत और चीन युद्ध हुआ था –

   (i) 11 जुलाई 1962 (ii) 20 अक्टूबर 1962

   (iii) 20 अगस्त 1964 (iv) 11 जुलाई 1965

2. 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध का कारण था –

   (i) कच्छ का रण क्षेत्र (ii) आजाद कश्मीर

   (iii) राजस्थान का जेसलमेर (iv) भारत पर जासूसी

3. लाखों शरणार्थी भारत में आए –

   (i) श्रीलंका (ii) बांग्लादेश

   (iii) पाकिस्तान (iv) चीन

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए –

(क) भारतीय संविधान में अनुच्छेद .... के अन्तर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है।

(ख) चीन और जापान युद्ध सन् .... में शुरु हुआ था।

(ग) 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद .... देश का निर्माण हुआ।

(घ) राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कुल .... बार घोषित हो चुका है।

सही जोड़ियाँ मिलाइए –

(क) भारत की विदेश नीति	बांग्लादेश
(ख) कबालियों व पाकिस्तान	पोखरण
(ग) परमाणु परीक्षण	ए.पी.जे. अब्दुल कलाम
(घ) मुक्ति वाहिनी सेना	कश्मीर पर आक्रमण
(ङ) एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र योजना	शांतिपूर्ण सह अस्तित्व

अतिलघुत्तरीय प्रश्न -

1. भारत ने जिन प्रक्षेपास्त्रों को बनाया है, उनके नाम लिखिए।
2. संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद् ने कश्मीर समस्या समाधान के लिए किन पाँच देशों का दल बनाया था? लिखिए।

लघुउत्तरीय प्रश्न -

1. भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से कबालियों का मार्ग बन्द करने को क्यों कहा था? लिखिए।
2. भारत और चीन युद्ध के क्या परिणाम हुए? लिखिए
3. ताशकन्द समझौते की शर्तें लिखिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न -

1. भारत चीन युद्ध में एकतरफा युद्ध विराम की घोषणा चीन ने क्यों की? वर्णन करिए।
2. कश्मीर समस्या क्या है? विस्तार से समझाइए।
3. 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध के परिणाम लिखिए।

परियोजना कार्य -

- ❖ भारत पाकिस्तान युद्धों को क्रमवार एक चार्ट में दिखाएँ।
- ❖ भारत चीन और पाकिस्तान के युद्धों में शहीद हुए प्रमुख फौजियों के चित्र व जानकारी अपने शिक्षक व साथियों के साथ एकत्रित करिए।